JALAUN POLICE

दिनांक – 23.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 02 आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादी श्री कैलाश पुत्र रामसेवक नि0 ग्राम बंगरा थाना माधौगढ जनपद जालौन द्वारा कोतवाली उरई में तहरीरी सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र को ले जाकर हत्या कर देना तथा शव को चमारी नाला थाना आटा क्षेत्र में फेक देना । वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 02.05.2006 को कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 641/06 (वाद संख्या 114/06) धारा 302/364/364A भादवि बनाम 1- शत्रुघन सिंह 2. सत्यभान सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्रगण विक्रम सिंह निवासीगण ग्राम रूरा सिरसा थाना रेंढर जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था । अभियुक्तगण को दिनांक 06.06.06 को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था । विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 26.07.2006 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 23.01.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1- शत्रुघन सिंह 2. सत्यभान सिंह उपरोक्त को धारा 364 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।